हिन्दुस्तान
पटना • सोमवार • 30 जुलाई 2018

रेरा ने पांच जिलों के 16 बिल्डरों को भेजा नोटिस

पटना। रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने पटना के अलावा दूसरे जिलों में परियोजना चला रहे बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेरा ने ऐसे 16 बिल्डरों को 55 परियोजनाओं के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है।

ये सभी परियोजनाएं पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और रोहतास जिले की हैं। रेरा ने कार्रवाई उन परियोजनाओं पर शुरू की है जो बिना निबंधन कराये ही विज्ञापनों के माध्यम से खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे बिल्डर अब तक रेरा में निबंधन के लिए आवेदन भी नहीं किये है और धड़ल्ले से अपनी परियोजना में फ्लैट की बुकिंग कर रहे हैं। सरकार भी अब तक ऐसे फ्लैटों के निबंधन पर रोक नहीं लगा सकी है, जिनका निबंधन रेरा में नहीं है। इसके लिए संस्था ने दो बार निबंधन विभाग को पत्र लिखा है। कुछ दिन पहले निबंधन विभाग ने इस पर सहमति जताकर निर्णय लेने के लिए संचिका नगर विकास विभाग को भेज दिया है। लेकिन नगर विकास विभाग अब तक इस पर कोई फैसला नहीं ले सका है।

उधर, रेरा ने बिल्डरों को यह भी निर्देश दे दिया है कि हर हाल में उन्हें अपनी परियोजना स्थल के साथ कारपोरेट कार्यालय पर भी रेरा के निबंधन की संख्या लिखें। बड़े बोर्ड पर यह सूचना देनी अनिवार्य है। उसमें परियोजना पूरी करने की तारीख भी अंकित करनी है।